विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन आधिक्य/ निरर्थक/ निष्फल/ परिहार्य/ अनुत्पादक व्यय, संविदाकारों को अनुचित लाभ, निरर्थक निवेश, निधियों का अवरोधन, निधियों का अपवर्तन, आदि से सम्बंधित ₹ 1258.95 करोड़ से लिप्त हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा लोक निर्माण विभाग के कार्य चालन पर तीन निष्पादन लेखा परीक्षाओं तथा 22 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित किया जाता है

निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण की एक निष्पादन लेखापरीक्षा परिचालित की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं:

- 2002-06 से सम्बंधित जल विद्युत परियोजनाओं की आवाह क्षेत्र उपचार योजनाओं के संदर्भ में ₹ 21.51 करोड़ की एक अव्ययित राशि तदर्थ प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण में जमा नहीं करवाई गई थी तथा मई 2013 तक राज्य सरकार के पास पड़ी रही।

(परिच्छेद 2.1.7.1)

- वन भूमि के अपवर्तन के 142 मामलों (अक्तूबर 2002 तथा अप्रैल 2008 के मध्य) में विभाग ने ₹ 25.85 करोड़ के निवल वर्तमान मूल्य की वसूली नहीं की थी।

(परिच्छेद 2.1.7.3 तथा 2.1.7.4)

- ₹ 188.38 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण केवल ₹ 127.09 करोड़ प्रयुक्त कर सका तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार *प्रतिशत* प्रयुक्तता चार तथा 48 के मध्य थी।

(परिच्छेद 2.1.8)

- 2006-12 के दौरान 8160.46 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए अपेक्षित प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति उपरोक्त अवधि के दौरान 2789.51 हेक्टेयर का आच्छादन किया गया, जिसके फलस्वरूप 66 *प्रतिशत* की कमी हुई।

(परिच्छेद 2.1.9.1 (i))

- कोल बांध जल विद्युत परियोजना के रिम पौधरोपण का आवंटन तथा लारजी जल विद्युत परियोजना की आवाह क्षेत्र उपचार योजना के अन्तर्गत पौधरोपण का कार्य बाह्य अभिकरण को देने के कारण ₹ 18.63 करोड़ (कोल बांध: ₹ 12.22 करोड़ और लारजी: ₹ 6.41 करोड़) की लागत की वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 2.1.9.2)

- अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण कार्यों के विशिष्ट निरीक्षण नहीं

किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मई 2013 तक समकालीन अनुश्रवण तथा मूल्यांकन की निर्धारित पद्धति विकसित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.1.12)

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- विभाग का समग्र व्यय अनुमोदित परिव्यय से ₹ 55 करोड़ बढ़ गया। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में 2008-09 तथा 2012-13 के अतिरिक्त 2009-12 के दौरान ₹ 8.77 करोड़ से ₹ 30.08 करोड़ के मध्य आधिक्य थे।

(परिच्छेद 2.2.7.1)

- 2004-12 के दौरान चार निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए लोक निर्माण विभाग को निस्तारित की गई ₹ 21 करोड़ की निधियों के प्रति संस्वीकृत लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए एक निर्माण कार्य में ₹ सात करोड़ की राशि का अपवर्तन किया गया।

(परिच्छेद 2.2.8)

- ₹ 11.27 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की अप्राप्ति के अतिरिक्त चिकित्सा संस्थाओं द्वारा 2008-13 के दौरान ₹ 14.03 करोड़ की कुल प्राप्ति के प्रति ₹ 8.14 करोड़ की केन्द्रीय सहायता को प्रयुक्त न करने के फलस्वरूप अवसंरचना, आदि का सर्जन नहीं हुआ।

(परिच्छेद 2.2.9.1 से 2.2.9.4)

- मरम्मतों तथा वार्षिक अनुरक्षण संविदाओं का नवीकरण न करने के कारण राजकीय आर्युविज्ञान महाविद्यालयों तथा इनके साथ संलग्न चिकित्सालयों में ₹ 3.52 करोड़ की लागत की मशीनरी तथा उपस्कर अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

(परिच्छेद 2.2.10.1)

- मार्च 2013 को अध्यापन तथा अध्यापन सहायक स्टॉफ के संवर्गों में 11 से 71 तथा 12 से 52 *प्रतिशत* की कमी थी।

(परिच्छेद 2.2.12.1 तथा 2.2.12.2)

- विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा कार्यकलापों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अनुश्रवण तंत्र तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन विद्यमान नहीं था।

(परिच्छेद 2.2.13)

लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं:

- कोई भी व्यापक सड़क नीति नहीं थी। विभाग ने राज्य के सभी जनगणना गांवों के साथ समयबद्ध सम्पर्क स्थापित करने हेतु कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई थी।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- पूर्णत: अवास्तविक आधार पर बजट प्राक्कलन तैयार किये गये, क्योंकि प्रावधानों के प्रति 2008–13 के दौरान ₹ 1084.14 करोड़ का अधिक व्यय (2008-09: ₹ 134.66 करोड़;

2009-10: ₹ 224.30 करोड़; 2010-11: ₹ 242.55 करोड़; 2011-12: ₹ 232.99 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 249.64 करोड़) किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.7.1)

- निर्माण कार्यों को व्यय प्रभारित करके बजट के व्यपगमन का परिहार करने के लिए खजाने से ₹ 15.21 करोड़ की निधियों का आहरण करके बिना किसी वास्तविक निष्पादन के इन निधियों का उपयोग दर्शाना तथा तद्नंतर वित्तीय वर्षों में इनका उपयोग करने के लिये जमा–शीर्ष में निधियों का रखना वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विरूद्ध था।

(परिच्छेद 2.3.7.3)

- 2008-13 के दौरान निष्पादन हेतु प्रारम्भ किये गये 914 निर्माण कार्यों में से ₹ 521.92 करोड़ की अनुमानित लागत के 823 कार्यों का निर्माण मार्च 2013 तक सम्पन्न किया जाना निर्धारित था। इसके प्रति ₹ 152.74 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त केवल 183 कार्य सम्पन्न किये गये थे तथा 640 कार्य जिन पर ₹ 126.50 करोड़ का व्यय किया गया था, मार्च 2013 तक अपूर्ण पड़े हुए थे।

(परिच्छेद 2.3.9.1(ii), 2.3.9.2(i) तथा 2.3.9.3(i))

- 171 मामलों में ₹ 10.43 करोड़ की क्षतिपूर्ति के प्रति विभाग ने केवल 36 मामलों में ₹ 2.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण किया था और इसकी भी मई 2013 तक वसूली नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.3.12.2)

अनुपालना लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला की कार्यप्रणाली

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र ने विद्यार्थी निधि से ₹ 13.65 करोड़ का अनियमित रूप से विश्वविद्यालय की साहित्य निधि (₹ 3.39 करोड़) तथा मुख्य लेखा (₹ 10.26 करोड़) को अन्तरण कर दिया था। 2010-13 के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को ₹ 2.04 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम प्रदान किये गये, जो मार्च 2013 तक असमायोजित रहे। मार्च 2009 से जनवरी 2011 के दौरान अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सर्जन करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये ₹ 2.50 करोड़ के अनुदान अप्रयुक्त रहे। विश्वविद्यालय ने बसों के अमितव्ययी प्रचालन तथा अनुरक्षण पर ₹ 1.49 करोड़ की हानि भी वहन की थी।

(परिच्छेद 3.1)

डा0 वाई0एस0 परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (जिला सोलन) में वित्तीय प्रबंधन

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। विश्वविद्यालय ने 2010-13 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ₹ 5.71 करोड़ के अनुदान की प्रयुक्तता से सम्बंधित आधिक्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे। 1997-2012 के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रदत्त किये गये ₹ 18.41 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम जून 2013 तक असमायोजित पड़े रहे। अप्रैल 2008 तथा मार्च 2011 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ में संस्वीकृत पांच कार्यों का निर्माण ₹ 1.69 करोड़ का व्यय करने के बाद जून 2013 तक अपूर्ण रहा।

(परिच्छेद 3.3)

सिंचाई और जलापूर्ति योजनाओं का निष्पादन

छः उठाऊ सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया ₹ 8.14 करोड़ का व्यय उनके कार्यान्वयन तथा निष्पादन हेतु योजना प्रक्रिया में काफी समय से पाई जाने वाली कमियों के कारण निष्फल/ अनुत्पादक/ निरर्थक सिद्ध हुआ। सात उठाऊ सिंचाई स्कीमों के संदर्भ में उन्हें पूर्ण करने में 20 तथा 62 मास के मध्य के विलम्ब के कारण अनुमानित लागत से व्यय ₹ 2.86 करोड़ बढ़ गया था।

(परिच्छेद 3.4)

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का कार्यान्वयन

2010-13 के दौरान नमूना जांचित जिलों के उपायुक्तों ने पूर्ण तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹ 14.62 करोड़ की लागत के 1362 कार्य संस्वीकृत किये थे। स्कीम के दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल उपायुक्तों ने 296 अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 3.84 करोड़ भी संस्वीकृत किये थे। 2010-13 के दौरान ₹ 18.10 करोड़ के संस्वीकृत किये गये 1610 निर्माण कार्यों में से मई 2013 तक 378 कार्य पूर्ण किये गये तथा शेष 1232 कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।

(परिच्छेद 3.6)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन

2006-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत ₹ 87.67 करोड़ की कुल 38 सड़कों (लम्बाई: 282.605 किलोमीटर) का सड़क संरेखणों के लिये ऋण मुक्त भूमि के अभाव में निष्पादन नहीं किया जा सका। नौ मण्डलों में 440.070 किलोमीटर की लम्बाई के 55 सड़क निर्माण कार्य जिन्हें ₹ 103.93 करोड़ में अनुमोदित किया गया था, उन्हें 240.885 किलोमीटर की लम्बाई के आंशिक निष्पादन करने तथा ₹ 41.13 करोड़ का व्यय करने के बाद परित्यक्त कर दिया गया।

(परिच्छेद 3.7)

अपूर्ण सामुदायिक अस्पताल भवन पर अनुत्पादक व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा चार वर्ष से अधिक समय तक किलाड़ (चम्बा जिला) में सामुदायिक अस्पताल का समय पर समापन्न सुनिश्चित करने में विफल रहने के फलस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.8)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

नमूना जांचित जिलों में 2010-13 के दौरान ₹ 16.04 करोड़ की निधियों की कुल उपलब्धता के प्रति सम्बंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा मार्च 2013 तक केवल ₹ 9.20 करोड़ प्रयुक्त किये जा सके, जिस से ₹ 6.84 करोड़ अप्रयुक्त रहे। 2010-13 के दौरान प्रत्यक्ष लक्ष्यों की उपलब्धता में कमी 11 से 84 *प्रतिशत* के मध्य थी। 1043 स्कूल शौचालयों, 383 आंगनबाड़ी शौचालयों तथा 392 सामुदायिक सफाई परिसरों के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि क्रमश: 657,228 तथा 63 थी।

(परिच्छेद 3.9)

हिमाचल प्रदेश बस स्टैण्ड प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण, शिमला में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली

प्राधिकरण द्वारा अपनी संस्थापना से कार्यात्मक तथा लेखांकन नियमावलियों तथा अन्य मूलभूत अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। चोरियों/ हानियों के प्रति मितव्ययी, प्रभावशाली तथा प्रभावी प्रचालन सुनिश्चित करने तथा प्राधिकरण के स्रोतों के संरक्षण के लिये नियंत्रण अपर्याप्त था, क्योंकि ₹ 1.15 करोड़ के मूल्यों की परिसम्पत्तियों का हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उपयोग किया जा रहा था, किन्तु प्राधिकरण तथा हिमाचल सड़क पथ परिवहन के मध्य उन का उपयोग करने तथा भाड़ा प्रभारों का उद्ग्रहण करने के लिये कोई अनुबंध विद्यमान नहीं था।

(परिच्छेद 3.11)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना विकास एवं सेवाएं प्रदान करना

आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में विलम्ब थे। 2007-12 के दौरान ₹ 24.31 करोड़ में संस्वीकृत 1016 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में से ₹ 4.68 करोड़ के व्यय के 191 भवनों का निर्माण निष्पादन हेतु प्रारम्भ नहीं किया गया तथा 333 निर्माण कार्य जिन पर ₹ 4.56 करोड़ का व्यय किया गया था उन्हें जून 2013 तक पूर्ण नहीं किया गया था। 2009-12 के दौरान 19.01 लाख शिनाख्तकृत लाभ भोगियों के लिये अनुपूरक पोषण प्रदान करने हेतु ₹ 237.54 करोड़ की आवश्यकता के प्रति विभाग ने केवल ₹ 224.77 करोड़ का प्रावधान किया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 12.77 करोड़ की निधियों की कम व्यवस्था हुई।

(परिच्छेद 3.13)